न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 25/2021
दायर दिनांक : 29.09.2021
आदेश दिनांक : 08.09.2025

देवा पिता सुडा जाति गुर्जर निवासी अमरतिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

— प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरियें सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. क्षैत्रीय अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, क्षैत्रीय कार्यालय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, गढबोर

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

एवार्ड प्रकरण अधिसूचना क्रमांक 1476 दिनांक 06.06.2014/दिनांक 05.01.2016

उपस्थित :—

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1,2 व 3

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 के तहत अंतर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 के अधीन प्रार्थना पत्र विरूद्ध अधिसूचना क्रमांक 1476 दिनांक 06.06.2014/05.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को बाघाना से गौमती चौराहा खण्ड तक (किमी 147.750 से किमी 177.050 तक) 4 लाईन सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी उप धारा 2 के अनुसरण में दिनांक 18.12.2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3470 दिनांक 18.12.2015 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थी की भूमि राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसरा संख्या 597 रकबा 0.0433 हेक्टेयर, खसरा संख्या 600 रकबा 0.0114 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1400/592 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1401/596 रकबा 0.2485 हेक्टेयर एवं 1492/603 रकबा 0.0432 हेक्टेयर को भी अवाप्त किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजे का एवार्ड जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी की राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसरा संख्या 597 रकबा 0.0433 हेक्टेयर,

खसरा संख्या 600 रकबा 0.0114 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1400/592 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1401/596 रकबा 0.2485 हेक्टेयर एवं 1492/603 रकबा 0.0432 हेक्टेयर को भी अवाप्त किया गया। जिसका मुआवजा मात्र 6,21,904/— रूपये तय किया गया है। जिसकी अभिवृद्धि हेतु यह याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत है कि उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी द्वारा रखे गये पक्ष के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया और मौके पर उक्त भूमि जो अवाप्त की गयी है उसके संबंध में न तो मौके पर सर्वे किया गया न ही मौके पर बनी हुई संरचना, बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा मात्र 147 रूपये व 175.61 रूपये वर्गमीटर की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000/— रूपये प्रति वर्गफीट है जबकि मुआवजा मात्र 147 रूपये व 175.61 रूपये वर्गमीटर तय किया गया है। उक्त भूमि मुख्य सड़क नेशनल हाईवे संख्या 8 से सटी हुई है जिसकी तत्कालीन वाणिज्यिक दर भी डीएलसी अनुसार 1000 रूपये प्रति वर्गफीट थी। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर से निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल निर्मित है। उक्त जायदाद प्रार्थी द्वारा लागत लगाकर विकसित किया है। मौके पर उक्त अवाप्तशुदा भूमि का सही सीमांकन नहीं किया गया है और सही मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है, न अदा किया गया है। इसके अतिरिक्त संरचना का मुआवजा निर्धारित ही नहीं किया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थी अवाप्ति दिनांक 06.06.2014 से 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त मुआवजा राशि पर क्षतिपूर्ति एवं सोल्यूशन राशि के रूप में 1.75 गुना राशि भूमि अर्जन एवं पुनःनिवासन अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में मुआवजा अदा करने बाबत अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 12.06.2018 को प्रतिवेदन पेश किया था लेकिन मुआवजा अदा नहीं किया गया। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 01.01.2015 तक न तो अदा किया गया है न ही जमा करवाया गया है। जबकि उक्त मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय नहीं किया गया। भू अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26, 27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये हैं जिसके तहत कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण अर्थात उस क्षैत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति विक्रय विलेख करार में वर्णित बाजार मूल्य या निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ौसी क्षैत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिये औसत कीमत लिये जाने के प्रावधान है। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त मुआवजा का निर्धारण मनमकसूद तरीके से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किया गया है तथा मुआवजा पर कोई ब्याज भी निर्धारित नहीं किया गया है जबकि देरी के संबंध में ब्याज नियमानुसार देय होता है। क्योंकि मुआवजा का निर्धारण विपक्षी द्वारा अवाप्ति की अधिसूचना की बाजार दर अनुसार तय किया गया है। फिर भी ब्याज एवार्ड राशि में नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थी की भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान है। यह कि अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में ब्याज, तोषण राशि एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के प्रावधान है। पूर्व में नेशनल हाईवे प्राधिकरण हेतु भू अवाप्ति के प्रावधान लागू नहीं होने बाबत नेशनल हाईवे अधिनियम 1997 की धारा 3 जे. के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने बाबत अधिनियम के तहत रोक थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम तेजसिंह के प्रकरण में दिनांक 19.09.2019 को विनिश्चित करते हुए उक्त धारा को असंवैधानिक माना गया। ऐसी स्थिति में मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति राशि, ब्याज एवं सोल्यूशन की राशि प्रार्थी विपक्षीगण से अपनी अवाप्तशुदा भूमि मकान, संरचना का भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थनापत्र का कारण अपूर्ण एवार्ड दिनांक 05.01.2016 को जारी करने से उत्पन्न हुआ है तथा नियमानुसार राशि प्रार्थी को अदा नहीं की। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2018 को अपने अधिवक्ता के जरिये प्रतिवेदन पेश किया गया लेकिन मुआवजा राशि न तो अदा की गई, न ही संशोधित एवार्ड जारी किया गया। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। ।। अधीनस्थ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 06.06.2014 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1476 (अ) दिनांक 06.06.2014 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 बाघाना से गौमती चौराहा खण्ड तक (कि.मी. 147.750 से कि.मी. 177.050 तक) के भू-खण्ड के निर्माण (चौडा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 D के तहत् आपत्तियों पर लिए गए निर्णयानुसार तहसीलदार, गढ़बोर से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जाँच रिर्पोट के आधार पर राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसरा संख्या 597 किस्म भूमि पड़त 1 अवाप्त क्षैत्रफल 0.0433 हैक्टयर व खसरा संख्या 600 किस्म भूमि दौ.सा. 2 अवाप्त क्षैत्रफल 0.0114 हैक्टयर व एवं खसरा संख्या 1400/592 किस्म भूमि बरानी-3 अवाप्त क्षैत्रफल 0.0648 हैक्टयर व खसरा संख्या 1401/596 किस्म भूमि बरानी-3 अवाप्त क्षैत्रफल 0.2485 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 1492/603 किस्म भूमि खादी-1, बीड़-1 अवाप्त क्षैत्रफल 0.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

0432 हैक्टयर का नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान आदेश (अवार्ड) दिनांक 05.01.2016 द्वारा मुआवजा राशि 6,21,904/— रूपया जारी किया जाकर उसे अभिलेख एवं मौके की स्थिति अनुसार हितधारकों/खातेदारों में विभाजित किया जाकर जरिये चैक संख्या 551131 व चैक संख्या 551132 व चैक संख्या 551133 व चैक संख्या 551134 भुगतान किया गया, प्रार्थी खातेदार देवीलाल पिता सुड़ा के हिस्से पर रा.जि.स.भु.वि. बैंक शाखा राजसमन्द का बैंक रहन होने से भुगतान रोका गया। जिसके सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा रहनमुक्ति का प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2019 को प्रस्तुत करने पर जरिये चैक संख्या 000132 निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी को कर दिया गया। प्रार्थी इसके अतिरिक्त ओर कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अवाप्तशुदा भूमि बाबत् उप पंजीयक गढ़बोर द्वारा किस्म अनुसार उपलब्ध करायी गई डीएलसी दर जो कि बाजार दर होती है, के अनुशरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गणना कर विधीवत् अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने गलत डीएलसी दर 1000/— रूपये प्रतिवर्ग फीट वर्णित कर मुआवजे कि मांग की है जो विधी विरूद्ध हैं। सक्षम प्राधिकारी जी ने नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानानुसार ही मुआवजा राशि की गणना की है। प्रार्थी ने इस कलम में जिस नजीर का हवाला दिया है, वह प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2014 को अवार्ड (3G) जारी किया है, मुआवजा राशि की स्वीकृति दिनांक 18.12.2014 को जमा हो जाने से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act. 2013) के प्रावधान लागु नहीं होते है। प्रस्तुत प्रकरण माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसरा संख्या 597 रकबा 0.0433 हेक्टेयर, खसरा संख्या 600 रकबा 0.0114 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1400/592 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1401/596 रकबा 0.2485 हेक्टेयर एवं 1492/603 रकबा 0.0432 हेक्टेयर को भी अवाप्त किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजे का एवार्ड जारी किया गया। जिसमें प्रार्थी की राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसरा संख्या 597 रकबा 0.0433 हेक्टेयर, खसरा संख्या 600 रकबा 0.0114 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1400/592 रकबा 0.0648 हेक्टेयर, खसरा संख्या 1401/596 रकबा 0.2485 हेक्टेयर एवं 1492/603 रकबा 0.0432 हेक्टेयर को भी अवाप्त किया गया जिसका मुआवजा मात्र 6,21,904/— रूपये तय किया गया है। उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी द्वारा रखे गये पक्ष के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया और मौके पर उक्त भूमि जो अवाप्त की गयी है उसके संबंध में न तो मौके पर सर्वे किया गया न ही मौके पर बनी हुई संरचना, बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा मात्र 147 रूपये व 175.61 रूपये वर्गमीटर की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000/— रूपये प्रति वर्गफीट है जबकि मुआवजा मात्र 147 रूपये व 175.61 रूपये वर्गमीटर तय किया गया है। उक्त भूमि मुख्य सड़क नेशनल हाईवे संख्या 8 से सटी हुई है। जिसकी तत्कालीन वाणिज्यिक दर भी डीएलसी अनुसार 1000 रूपये प्रति वर्गफीट थी। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की दर से निर्धारित किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल निर्मित है। उक्त जायदाद प्रार्थी द्वारा लागत लगाकर विकसित किया है। मौके पर उक्त अवाप्तशुदा भूमि का सही सीमांकन नहीं किया गया है और सही मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है, न अदा किया गया है। इसके अतिरिक्त संरचना का मुआवजा निर्धारित ही नहीं किया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थी अवाप्ति दिनांक 06.06.2014 से 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त मुआवजा राशि पर क्षतिपूर्ति एवं सोल्यूशन राशि के रूप में 1.75 गुना राशि भूमि अर्जन एवं पुनःनिवासन अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में मुआवजा अदा करने बाबत अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 12.06.2018 को प्रतिवेदन पेश किया था लेकिन मुआवजा अदा नहीं किया गया। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उसका मुआवजा उपरोक्तानुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार, गढ़बोर से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके की जाँच रिर्पोट के आधार पर राजस्व ग्राम लाम्बोड़ी के खसरा संख्या 597 किस्म भूमि पड़त 1 अवाप्त क्षेत्रफल 0.0433 हैक्टयर व खसरा संख्या 600 किस्म भूमि दौ.सा. 2 अवाप्त क्षैत्रफल 0.0114 हैक्टयर व एवं खसरा संख्या 1400/592 किस्म भूमि बरानी–3 अवाप्त क्षैत्रफल 0.0648 हैक्टयर व खसरा संख्या 1401/596 किस्म भूमि बरानी–3 अवाप्त क्षैत्रफल 0.2485 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 1492/603 किस्म भूमि खादी–1, बीड़–1 अवाप्त क्षैत्रफल 0.0432 हैक्टयर का नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान आदेश (अवार्ड) दिनांक 05.01.2016 द्वारा मुआवजा राशि 6,21,904/– रूपया जारी किया जाकर उसे अभिलेख एवं मौके की स्थिति अनुसार हितधारकों/खातेदारों में विभाजित किया जाकर जरिये चैक संख्या 551131 व चैक संख्या 551132 व चैक संख्या 551133 व चैक संख्या 551134 भुगतान किया गया, प्रार्थी खातेदार देवीलाल पिता सुड़ा के हिस्से पर रा.जि.स.भु.वि. बैंक शाखा राजसमन्द का बैंक रहन होने से भुगतान रोका गया। जिसके सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा रहनमुक्ति का प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2019 को प्रस्तुत करने पर जरिये चैक संख्या 000132 निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थी को कर दिया गया प्रार्थी इसके अतिरिक्त ओर कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी जी ने नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानानुसार ही मुआवजा राशि की गणना की है। प्रार्थी ने इस कलम में जिस नजीर का हवाला दिया है, वह प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2014 को अवार्ड (3G) जारी किया है, मुआवजा राशि की स्वीकृति दिनांक 18.12.2014 को जमा हो जाने से RFCTLARR Act. 2013 के प्रावधान लागु नहीं होते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। इस प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द द्वारा दिनांक 05.01.2016 को पारित किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया। प्रार्थी का इस प्रार्थना पत्र में यह कथन है कि चुंकि प्रार्थी कि अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड 01.01.2015 के बाद जारी किया गया है। इसीलिए इसमें भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अवार्ड राशि अदा होनी चाहिए।

प्रश्नगत प्रकरण में अवार्ड का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह अवार्ड अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी नहीं किया गया है। अपितू पुराने अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया है। RFCTLARR Act 2013 के अधिनियम में भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 को जारी कर संशोधन किया इस संशोधन में धारा 105 को संशोधित किया गया जिसके अनुसार यदि कोई भी अवार्ड 01.01.2015 के बाद जारी होता है तो RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानो के अनुरूप उसकी गणना होनी चाहिए। इस प्रकरण में अवार्ड दिनांक 05.01.2016 को पारित हुआ है। जो कि 01.01.2015 के बाद की तिथि का है। अतः इसमें भी अवार्ड की गणना RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुरूप ही की जानी चाहिए।

अतः यहां यह स्पष्ट है कि अवार्ड दिनांक 05.01.2016 को जारी हुआ है। जो दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी हुआ है। तथा अवार्ड की गणना RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानो के अनुसार नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित (REMAND) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अवार्ड का निर्धारण RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुरूप करते हुए संशोधित अवार्ड जारी करे। निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को भिजवायी जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द